

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 5 सितम्बर, 2018

विषय: श्री देवेश उनियाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद उनियाल निवासी भजनगढ़ रोड, ढालवाला, तहसील नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 489/भूखनि0ई0/हरि0/खनन पट्टा-निरस्ती0/2018-19 दिनांक 16.07.2018 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देवेश उनियाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद उनियाल निवासी भजनगढ़ रोड, ढालवाला, तहसील नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल को शासनादेश संख्या 2350/VII-I/169-ख/2013, दिनांक 28.10.2013 के द्वारा जिला व तहसील हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी के खसरा सं० 1882ल, कुल रकवा 0.7840 है० निजी नाप भूमि में स्वीकृत उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर के खनन पट्टे को खनन पट्टे से सम्बंधित देयकों का भुगतान न किये जाने तथा शासनादेश की शर्तानुसार पट्टाधारक द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ वार्ल्ड लाईफ से अनुमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(गरिमा रौकली)

संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1787(1)/VII-1/18-169ख/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी हरिद्वार।
2. उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलेक्ट्रेट भवन, हरिद्वार।
3. श्री देवेश उनियाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद उनियाल, निवासी भजनगढ़ रोड, ढालवाला, तहसील नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अर्पण कुमार राजू)

अनु सचिव।